

आरा हेतु १८ हजार दिंड नों  
U/S ११. १२ व १४ R.T. Act  
हुक्म की कार्यवाही इनिशियल्स जज  
दावा सं ३०७/०५

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

पत्रावली प्रस्तुत हुई. पक्षकारान उपाध्ये न हों।  
बत-बत आवाज दिलवाने के बतवमूद २४ को  
हवे उनके वकील उपाध्ये न हों। अतः दावा को  
अदम हजारी अदम पैरनी में खारिज किया जाता  
ही पत्रावली वैल्ल सुफार होना दावदफतर हो।

उप खण्ड अधिकारी  
नाम (अरवपुर)

